न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 102 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 263
दायर दिनांक :— 20.06.2024 निर्णय दिनांक :— 09.04.2025

1. चन्द्रा बिश्नोई पत्नी ओमप्रकाश बिश्नोई नि. आर.टी.ओ. ऑफिस के पास विध्यानगर जोधपुर
2. छोगाराम बिश्नोई पुत्र रिडमलराम जाति विश्नोई नि. आर.टी.ओ. ऑफिस के पास विध्यानगर जोधपुर
3. रामलाल पुत्र मगलाराम जाति विश्नोई निवासी लोहावट तहसील लोहावट जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. खिंयाराम विश्नोई पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी सांवरीज तह. व जिला फलोदी
2. सुरेन्द्र कुमार विश्नोई पुत्र खिंयाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी सांवरीज तहसील व जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. चावली पत्नी मोबतराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. दाणूराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
6. नरसिंगाराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
7. बचनाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
8. बाबूराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
9. बिरबलराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
10. भरमती पत्नी हरीराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
11. मनोहरराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
12. साजनराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
13. हरदास पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी
14. चांदाराम पुत्र हरदासराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. पोकरराम पुत्र हरदासराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. हुकमाराम पुत्र हरदासराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. प्रेमकुमार पुत्र कानाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. सांवलराम पुत्र उतमाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
19. अन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. चूनाराम पुत्र महेन्द्राराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
21. चांदाराम पुत्र धोकलाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

09/4/25
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

22. दयाराम पुत्र धोकलराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
23. दीपाराम पुत्र महेन्द्राराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
24. बाबूराम पुत्र धोकलाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
25. रतनाराम पुत्र महेन्द्राराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
26. रेवताराम पुत्र अनोपाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
27. साजनराम पुत्र किशनाराम जाति भांबी निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. ओमप्रकश गोदारा अधि. अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1364/1 रकबा 10.4247 हैक्टेयर ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 29.04.2024 को जारी आदेश क्रम संख्या 72 की पालना में दिनांक 14.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर जी.पी.एस. द्वारा मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 14.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 ता 27 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1364/1 रकबा 10.4247 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1364/1 रकबा 10.4247 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1364/1 रकबा 10.4247 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 14.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। वक्त पत्थर गडढी मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

09/4/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)